

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी - श्री नन्द किशोर राजोरा
(आर.ए.एस.)

संख्या : 174/13 राजस्व वाद

उनवान

शंकर सिंह पिता चंचल सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(वादी)

बनाम

बन्नु सिंह पिता चंचल सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मुन्नी कंवर पिता चंचल सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
आशा कंवर पुत्री पिता चंचल सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मान कंवर पत्नी पिता चंचल सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मोचल सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत नि० भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(प्रतिवादी गण)

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थिति :-

शंकर सिंह पिता चंचल सिंह राजपूत -वादी
के.के. जीनकर अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 18.05.2015

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अंतर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम भटेड़ा तहसील मण्डल घरटा भूअ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 की खाता संख्या 349 के आ०न० 1264 रकबा 1264 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा में वादी व विपक्षी संख्या 1 से 4 का हिस्सा 1/2 विपक्षी संख्या 5 का हिस्सा 1/2 स्थित है। वादी व शेष प्रतिवादीगण के मध्य शामिल आराजी होने से कब्जे संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एंड बाउंड विभाजन करना फरमावे।

वाद एवं रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के जरिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद को लोक अदालत में निस्तारण हेतु उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया।
वादी श्री मंवर सिंह एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री के०के० जीनगर द्वारा राजस्व लोक अदालत में आवेदन होकर प्रकरण के निस्तारण पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली में दर्ज आराजियात ग्राम पटवार मण्डल घरटा भूअ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 की संख्या 349 के आ०न० 1264 रकबा 1264 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 01 कुल 24 बीघा 2 बिस्वा में वादी सहखातेदार दर्ज है। अतः बंटवारे की दाद प्राप्त करने के लिये सिद्ध होते हैं। अतः वाद वादी वास्ते विभाजन वादग्रस्त आराजियात स्वीकार किया जाता

आदेश

दिनांक 18.05.2015

वादवादी स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम पटवार मण्डल घरटा भूअ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 349 के आ०न० 1264 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा में वादी व सहखातेदार 1 से 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मीट्स एंड बाउण्ड विभाजन करते हुये नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन किया जाकर फर्द बंटवारा सुलभ करने हेतु तहसीलदार बनेड़ा को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। अतः अनुसार प्रारंभिक डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2015 को राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजौरा)
सुपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री ::
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

अधिकारी - श्री नन्द किशोर राजोरा
आर.ए.एस.

संख्या : 174/13 राजस्व वाद

उनवान

नन्द सिंह पिता चंचल सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(वादी)

बनाम

बन्नु सिंह पिता चंचल सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मुन्नी कंवर पिता चंचल सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
आशा कंवर पुत्री पिता चंचल सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
मान कंवर पत्नी पिता चंचल सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
सोमल सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत नि0 भटेड़ा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(प्रतिवादी गण)

दिनांक 18.05.2015

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी जारी की
है एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम
भटेड़ा पटवार मण्डल घरटा भू.अ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 349 के आ0न0
रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा में वादीगण व
प्रतिवादी के हक हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 18-21 की पालना करते हुए
सूची तैयार कर विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक 4.8.15 तक प्रस्तुत
करवाये जाकर अपना-अपना वहन करेंगे।



(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा